

काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ज्ञानपुर, भदोही



प्रवेश विवरणिका – 2019-20

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक आदर्श महाविद्यालय की कल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करने के लिए यह महाविद्यालय अगस्त 1951 ई. में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना के मूल में पूर्व महाराज काशी नरेश डॉ. विभूति नारायण सिंह जुदेव का विद्यानुराग एवं दानवृत्ति तथा तत्कालीन शिक्षामंत्री डॉ. सम्पूर्णानन्द की उदात्त शैक्षिक मनोवृत्ति सन्निहित है। ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी दुर्दम्य प्रतिरोधक क्षमता का परिचय देने वाले इस जनपद में प्रकृति के सुरम्य एवं शान्त वातावरण में स्थित उत्कृष्ट शिक्षण-पद्धति से सम्पन्न यह महाविद्यालय अपने स्थापना काल से ही सुदूर स्थानों के छात्रों के अध्ययन एवं आकर्षण का केन्द्र रहा है। अधिकतम विषयों का विकल्प, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य आत्मीय एवं सहज सम्बन्ध तथा योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण एवं शोध निर्देशन, इस महाविद्यालय की अपनी निजी विशेषताएं हैं। प्राचीन काल से ही शिक्षा के लिये प्रसिद्ध एवं विख्यात काशी एवं प्रयाग की निकटता इस महाविद्यालय के प्रांगण में शिक्षार्थियों एवं शोधार्थियों को सहज ही आकृष्ट करती रही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) द्वारा इस महाविद्यालय को 'बी' ग्रेड प्राप्त है तथा प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा के 'उत्कृष्ट केन्द्र' के रूप में यह महाविद्यालय प्रस्थापित है।

ज्ञानपुर नगर, जनपद भदोही का मुख्यालय है। यह नगर वाराणसी से 63 किमी. पश्चिम तथा इलाहाबाद से 64 किमी. पूरब जी.टी.रोड पर स्थित गोपीगंज नगर पालिका से 06 किमी. उत्तर में स्थित है। सड़क मार्ग से यह स्थान वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, तथा जौनपुर जनपद से जुड़ा है। ज्ञानपुर रेल मार्ग से पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग पर स्थित ज्ञानपुर रोड स्टेशन से 07 किमी. एवं उत्तर रेलवे के लखनऊ-प्रतापगढ़-वाराणसी मार्ग पर स्थित भदोही रेलवे स्टेशन से 13 किमी. दूर है।

महाविद्यालय परिवार में 105 प्राध्यापकों एवं 81 शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का पद सृजित है। कला, विज्ञान, वाणिज्य व बी0 एड0 के चारों संकायों में स्नातक स्तर पर कुल 22 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 19 विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा संकाय में बी0एड0 प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 19 विषयों में शोध कार्य की समग्र सुविधा उपलब्ध है। शैक्षिक सत्र 2009-10 से यह महाविद्यालय महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा राजर्षि टंडान मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र भी संचालित हैं।

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व-निर्माण की दृष्टि से अनेक शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स/रेंजर्स, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियाँ प्रमुख हैं। शासकीय महाविद्यालय होने के कारण शासन स्तर पर संचालित कार्यक्रम एवं सुविधाएं महाविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध हैं।

पाठ्य विषय—

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, नियमों एवं महाविद्यालय के नियमों के अधीन महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है।

कला संकाय —

1—स्नातक 'कला संकाय' (बी.ए.)— इसके अंतर्गत महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा प्राप्त है :—

- | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. हिन्दी साहित्य | 2. अंग्रेजी साहित्य | 3. संस्कृत साहित्य | 4. भूगोल | 5. राजनीति शास्त्र |
| 6. दर्शनशास्त्र | 7. समाजशास्त्र | 8. चित्रकला | 9. मनोविज्ञान | |
| 10. गृह विज्ञान | 11. संगीत | 12. प्राचीन इतिहास | 13. अर्थशास्त्र | |
| 14. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास | 15. शारीरिक शिक्षा | | | |

नोट: सभी विषय वैकल्पिक हैं। प्रवेशार्थी को कुल तीन विषयों के उपलब्ध विषय समूह का चयन प्रवेश के पूर्व ही भली-भाँति सोच समझकर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ करना चाहिए:—

- (1)—तीन साहित्यिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) में दो से अधिक विषयों का चयन नहीं किया जा सकता।
- (2)—प्रयोगात्मक विषयों (गृह विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा) में से अधिकतम दो विषयों का ही चयन किया जा सकता है।
- (3)—विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार भूगोल/मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास/प्राचीन इतिहास में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।

इसी प्रकार:—

- (अ)— चित्रकला/अंग्रेजी में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।
- (ब)— अर्थशास्त्र/संगीत में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।

- (4)— गृह विज्ञान विषय मात्र छात्राओं के लिए ही अनुमन्य है।
- (5)— स्नातक कला प्रथम वर्ष में चयनित तीनों विषयों को स्नातक कला द्वितीय वर्ष में भी अध्ययन करना होगा।
- (6)— स्नातक कला तृतीय वर्ष में द्वितीय वर्ष के मात्र दो विषयों का ही चयन करना होगा।

नोट:— विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष में 'राष्ट्रगौरव' एवं द्वितीय वर्ष में 'पर्यावरण'विषय में अध्ययन करना व उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

2. स्नातकोत्तर कला संकाय (एम.ए.)— महाविद्यालय में कला संकाय के निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा है:—

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. हिन्दी साहित्य | 2. अंग्रेजी साहित्य | 3. संस्कृत साहित्य |
| 4. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास | 5. प्राचीन इतिहास | 6. भूगोल |
| 7. राजनीति शास्त्र | 8. दर्शनशास्त्र | 9. अर्थशास्त्र |
| 10. समाजशास्त्र | 11. मनोविज्ञान | 12. गृहविज्ञान |
| | | 13. चित्रकला |

विज्ञान संकाय –

1. स्नातक विज्ञान संकाय (बी.एस-सी.)— स्नातक विज्ञान संकाय के सभी विषय वैकल्पिक हैं, जो दो वर्गों में विभाजित हैं :-

(अ) गणित वर्ग : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

(ब) जीव विज्ञान वर्ग : वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान।

2. स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय (एम.एस-सी.)—महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा प्राप्त है:-

1. गणित 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान 4. प्राणि विज्ञान 5. वनस्पति विज्ञान

वाणिज्य संकाय –

1. स्नातक वाणिज्य संकाय (बी. कॉम.)— निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्ययन की सुविधा प्राप्त है:-

अ. प्रथम वर्ष—समस्त प्रश्नपत्र अनिवार्य हैं।

ब. द्वितीय वर्ष—समस्त प्रश्नपत्र अनिवार्य हैं।

स. तृतीय वर्ष—वैकल्पिक विषयों का चयन विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार किया जायेगा।

2. स्नातकोत्तर वाणिज्य (एम. कॉम.):— विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रश्न-पत्र।

शिक्षा संकाय –

शिक्षा संकाय (बी0एड0) में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट संख्या 50 है और इसमें प्रवेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।

इस संदर्भ में सूच्य है कि शासन एवं निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ही निर्धारित प्रवेश लिया जायेगा। निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे।

शोध –

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के ऐसे सभी विषयों में जहाँ स्नातकोत्तर कक्षाएँ चलती हैं, पी0एच0डी0 हेतु शोध (रिसर्च) की समुचित व्यवस्था है। इस सन्दर्भ शासक विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्देश प्रभावी होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया –

प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमावली –

1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर स्तर पर प्रवेश आनलाईन द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु आवेदन महाविद्यालय की वेबसाईट www.kngpgc.in पर प्रदत्त लिंक द्वारा किया जा सकेगा।
2. आवेदन प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की समय-सारणी महाविद्यालय सूचना पट्ट, महाविद्यालय की वेबसाईट तथा सामाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतया जून 2019 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ होगी।
3. विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की उपलब्धता महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की नियमावली तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर तय की जायेगी।
4. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
5. शासन द्वारा विभिन्न आरक्षित वर्गों यथा, अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अन्य के लिये किये गये प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
6. बी0ए0/बी0काम0 प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति/जनसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।
7. बी0ए0/बी0काम परीक्षा में 40 प्रतिशत तथा बी0एस-सी0 परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।
8. विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी बी0एस-सी0, बी0काम0 तथा बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी अर्ह होंगे। इसी प्रकार वाणिज्य वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी0काम0 एवं बी0ए0 पाठ्यक्रम में भी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। कला वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु ही आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक संकाय के लिये अलग-अलग आवेदन करना होंगे।
9. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष के विषयों में से ही किसी विषय का चयन करना होगा, तथा प्रत्येक विषय के लिये अलग-अलग आवेदन करना होगा।
10. स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी पुनः किसी दूसरे विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एक वर्ष से अधिक शैक्षिक अंतराल वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।

12. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अनिवार्यतः मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।
13. मेरिट लिस्ट, अर्हता प्रदायिनी परीक्षा में प्राप्त "प्रतिशत" एवं "अधिभार" अंकों के योग पर तैयार की गयी 'इण्डेक्स' के आधार पर तैयार की जायेगी।
14. भदोही जिले से इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 05 अंक अधिभार दिये जायेगे।
15. इसी प्रकार काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 05 अंक अधिभार दिये जायेगे।
16. किसी पाठ्यक्रम में एक वर्ष से अधिक शैक्षणिक अन्तराल वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थियों की इण्डेक्स की गणना करते समय अर्हता प्रदायिनी परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत से 05 अंक की कटौती की जायेगी। शैक्षणिक अन्तराल वाले अभ्यर्थियों को नोटरी शपथ-पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
17. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इस महाविद्यालय/अन्य राजकीय महाविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगे भाई/सगी बहन को 10 अंक का अधिभार प्रदान किया जाएगा।
18. विभिन्न प्रमाण पत्र धारकों को निम्नलिखित विवरणानुसार अधिभार देय होगा –

(अ) एन0सी0सी0

- | | |
|---------------------|--------|
| 1 – 'बी' सर्टिफिकेट | 01 अंक |
| 2 – 'सी' सर्टिफिकेट | 02 अंक |
| 3 – आर. डी. परेड | 03 अंक |

(ब) एन0एस0एस (राष्ट्रीय सेवा योजना)

- | | |
|--|--------|
| 1 – दो वर्ष की सदस्यता, एक विशेष 7/10 दिवसीय शिविर | 01 अंक |
| 2 – दो वर्ष की सदस्यता, दो विशेष 7/10 दिवसीय शिविर | 02 अंक |

(स) रोवर्स/रेंजर्स (स्काउड/गाईड)

- | | |
|--|--------|
| 1 – बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट/प्रवीण प्रमाण पत्र | 01 अंक |
| 2 – विश्वविद्यालय समागम सहभागिता/निपुण प्रमाण-पत्र | 02 अंक |
| 3 – प्रदेश समागम/राष्ट्रपति पुरस्कार | 03 अंक |

(द) दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

(य) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की संतानों को प्रवेश में नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

19. किसी भी परिस्थिति में अधिकतम अधिभार 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

20. समय-समय पर घोषित की जाने वाली मेरिट लिस्टो (वरीयता सूचियों) संबंधी सूचना, सूचना पट्ट, वेबसाईट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा मेरिट में स्थान पाये अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 (SMS)द्वारा सूचित किया जायेगा।
21. मेरिट लिस्ट में साक्षात्कार (काउन्सिलिंग) हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, समस्त मूल साक्ष्यों यथा समस्त अंक पत्रों प्रमाण पत्रों, चरित्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों तथा आरक्षण श्रेणी/अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं उनकी छाया प्रतियों को अपने काउन्सिलिंग लेटर के साथ निर्धारित समयावधि में ही प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करना होगा।
22. व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (जो विगत छः माह की अवधि के अन्दर जारी किया गया हो) को साक्षात्कार के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को उस विद्यालय/महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, जहाँ उसने अंतिम बार संस्थागत रूप से अध्ययन किया हो।
23. अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय नामांकन के समय अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) मूल रूप में जमा करना होगा।
24. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
25. अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. ऐसे अभ्यर्थियों को जो किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/अनुचित साधन प्रयोग के लिये दण्डित किये गये हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
27. जिस अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो/दण्डित किया गया हो, को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
28. जिस अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो/दण्डित किया गया हो, को किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उसी कक्षा में या संकाय बदल कर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
29. प्राचार्य को किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
30. उ0प्र0 स्टेट यूनी0 एक्ट 1973 के अनु0 8बी0 धारा 45, उपधारा (4) के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।

यूनिफार्म –

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिये निम्नलिखित यूनीफार्म निर्धारित है :

छात्रों हेतु- शर्ट-हल्का गुलाबी, पैण्ट-नेवी ब्लू फूल, नीला मोजा, काला जूता तथा ठंड के मौसम में नेवी ब्लू स्वेटर।

छात्राओं हेतु- हल्की गुलाबी समीज, नेवी ब्लू सलवार, नेवी ब्लू दुपट्टा अथवा हल्की गुलाबी साड़ी, नेवी ब्लू ब्लाउज, नीला मोजा, काला जूता/ठंड के मौसम में नेवी ब्लू स्वेटर।

निर्धन छात्र सहायता कोष –

जिन निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति की सुविधा नहीं मिली हो उनके लिए निर्धन सहायता कोष उपलब्ध है। निश्चित तिथि तक विद्यार्थियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिस पर प्राचार्य द्वारा गठित समिति छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार करने के उपरांत अपना निर्णय देगी। प्राचार्य द्वारा निर्णय का अनुमोदन कर दिये जाने पर आर्थिक सहायता प्राप्त छात्र/छात्राओं के नामों की सूची घोषित कर दी जायेगी।

छात्रवृत्तियाँ –

महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं। विवरण संक्षेप में निम्नवत हैं-

1. सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति –

निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को आवेदन-पत्र के साथ आय एवं जाति प्रमाण-पत्र संलग्न कर अगस्त तक कार्यालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, किन्तु इस श्रेणी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए उन्हें कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

2. विकलांग छात्रवृत्ति-

विकलांग छात्रवृत्ति स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होती है, जिसके आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण, अधिकारी भदोही से निर्धारित समयावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति-

ये छात्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को निर्धारित नियमों के आधार पर प्रदान की जाती है। जिसके लिए आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, भदोही से निर्धारित समयावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एवं ऋण छात्रवृत्ति—

ये छात्रवृत्तियाँ उच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्राओं को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं। इनके आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद/जिला विद्यालय निरीक्षक, भदोही से निर्धारित समयावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

5. छात्र कल्याण निधि—

ये छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के 'छात्र कल्याण निधि' विभाग द्वारा उच्च श्रेणी प्राप्त छात्र/छात्राओं को दी जाती है, जिनके आवेदन-पत्र महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा किये जा सकते हैं।

6. छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता—

ये छात्रवृत्ति उच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्राओं को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। इनके आवेदन-पत्र निर्धारित समयावधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से प्राप्त किये जा सकते हैं। एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता में से एक ही सुविधा प्रदान की जायेगी।

विभागीय परिषदें एवं अन्य क्रियाकलाप

विभागीय परिषदें

महाविद्यालय में प्रत्येक विषय की विभागीय परिषद् होती है जिसका गठन निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा होता है। इन परिषदों का लक्ष्य उस विषय से सम्बद्ध बौद्धिक क्रियाकलापों का आयोजन करना है।

शारीरिक शिक्षा परिषद्

महाविद्यालय में खेल-कूद संबंधी कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित एवं संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय, अन्तरमहाविद्यालय एवं अन्तरविश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के सहभागिता की समस्त सुविधाएँ इस परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

छात्रों में देशभक्ति एवं समाज सेवा की प्रवृत्ति जागृत करने हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय से इस इकाई के लिए 200 छात्रों की संख्या आवंटित है। इस योजना में पंजीकृत छात्र सदस्यों को दो वर्षों में (120+120) घंटों की सामाजिक सेवा का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करना पड़ता है तथा कम से कम चार एक दिवसीय व एक सात दिवसीय विशेष वार्षिक शिविर (100 छात्रों का) में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसके उपरान्त ही छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

नेशनल कैडेट कोर—

महाविद्यालय में एन0सी0सी0 में छात्र/छात्राओं हेतु अलग-अलग युनिट संचालित की जाती है।

रोवर्स/रेंजर्स दल

विद्यार्थियों के मध्य सेवा-भावना एवं संगठनात्मक क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से रेंजर्स/रोवर्स दल, जो स्काउटिंग गाइडिंग का उच्च रूप हैं, भी महाविद्यालय में संचालित है। यह सामाजिक विषमताओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सहायता का कार्य करता है। इसमें निष्ठापूर्वक किये गये महत्त्वपूर्ण कार्यों पर राष्ट्रपति पदक तक प्राप्त हो सकते हैं। भारत वर्ष में स्काउट एवं गाइड आंदोलन राष्ट्र-निर्माण, राष्ट्रीय एकता और विशेषतः युवा वर्ग के मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। इस आन्दोलन के विस्तार की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए वैडेन पावेल ने युवा वर्ग को रोवर्स/रेंजर्स की संज्ञा देते हुए उनके दलों की स्थापना पर बल दिया था। युवा शक्ति को अनुशासनबद्ध करने, उनमें सेवाभाव, भाईचारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित करने तथा सुखद भविष्य के निर्माणार्थ दिशा मूलक सिद्धान्तों से अवगत कराने की दृष्टि से इस महाविद्यालय में 'रोवर्स क्रू' तथा 'रेंजर टीम' की स्थापना की गयी है। 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग को 'रोवर्स क्रू' तथा छात्राओं के वर्ग को 'रेंजर दल' का नाम दिया गया है। प्रत्येक दल में 24 सदस्य होंगे।

गृह परीक्षा/दत्त कार्य

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक सत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रश्न-पत्र के लगभग 50-100 उपयोगी प्रश्न छात्र/छात्राओं को दिये जाते हैं, जिन्हें छात्र हल करके ले आते हैं। सुविधानुसार अध्यापक उनका मूल्यांकन करते हुए छात्रों को उत्तर लिखने की व्यवहारिक प्रक्रिया से परिचित कराते हैं। इनमें संबंधित प्रश्नपत्र की मानक पुस्तकों, उनके शीर्षक तथा लेखकों के नाम भी मुद्रित होते हैं।

वार्षिकोत्सव

विद्यार्थी के सर्वतोन्मुखी विकास का परिमाण महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है। इस अवसर पर वर्ष पर्यन्त आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार, एक भव्य समारोह आयोजित कर वितरित किये जाने की योजना है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी व्यवस्था है।

महाविद्यालय-पत्रिका

महाविद्यालय एक वार्षिक पत्रिका 'मनीषा' प्रकाशित करता है। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का प्रकाशन एवं उनकी प्रसुप्त रचनाधर्मिता का उद्घाटन महाविद्यालय की पत्रिका द्वारा होता है। मनीषा पत्रिका में छात्र/छात्राएँ अपनी कविताएँ, गीत, निबन्ध, लेख, आलोचना, अमरवाणी, क्षणिकाएँ, शोध-निबन्ध, संस्मरण आदि प्रस्तुत करते हैं।

शास्ता मण्डल

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक शास्ता मण्डल (प्रॉक्टरियल बोर्ड) है, जिसके अध्यक्ष को 'चीफ प्रॉक्टर' और सदस्य को 'प्रॉक्टर' कहते हैं। इसका गठन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। अनुशासन भंग करने या महाविद्यालय की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वाले छात्र/छात्राओं से पूछ-ताछ करना एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना शास्ता मण्डल का कार्य है।

नामांकन-पत्र तथा विश्वविद्यालयी परीक्षा आवेदन-पत्र भरा जाना

इंटरमीडिएट/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होकर आये समस्त प्रवेशार्थियों तथा महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से आये छात्रों के लिए नामांकन-पत्र के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। अन्य विश्वविद्यालय से आये विद्यार्थियों को पूर्व विश्वविद्यालय का माइग्रेशन (प्रवजन) प्रमाण-पत्र भी नामांकन-पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निर्धारित समय से विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र पूर्ण कर कार्यालय में जमा करें।

दीक्षान्त समारोह

महाविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह के अवसर पर सफल छात्रों को उपाधि प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक संकाय में सर्वोच्च अंक पाने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। समारोह की तिथि महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर तथा वाराणसी, इलाहाबाद के प्रमुख समाचार-पत्रों द्वारा भी प्रसारित की जायेगी। यदि कोई छात्र समारोह अथवा किसी अन्य विषय के बारे में विस्तृत जानकारी चाहता है, तो जवाबी पोस्ट कार्ड या डाक टिकट लगा पते सहित लिफाफा भेजना आवश्यक है।

अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय तथा कंपनी सेक्रेटरी हेतु अध्ययन केन्द्र भी संचालित है।

आचरण संबंधी नियम

महाविद्यालय में स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखने तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना का उत्तरदायित्व महाविद्यालय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का है। प्रत्येक छात्र को इसके प्रयत्नशील रहना चाहिए। महाविद्यालय में अपने दैनिक आचरण में छात्रों को शान्ति, सहयोग एवं मैत्री की भावना से कार्य करना चाहिए तथा निष्ठापूर्वक महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सभी छात्रों का अनुशासनपूर्वक रहना अनिवार्य है।

किसी भी दशा में छात्रों को अनुशासन/नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए छात्रों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। छात्रों को महाविद्यालय के फर्नीचर, विद्युत एवं अन्य

उपकरणों की सुरक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए। शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा धूम्रपान अथवा पान-पीक थूकना वर्जित है।

अन्य नियम

1. **रेलवे कन्सेशन** –दीर्घ कालीन छुट्टियों के समय छात्रों को अपने स्थायी निवास स्थान पर जाने तथा वहाँ से महाविद्यालय लौटने के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2. **कॉशनमनी की वापसी** –महाविद्यालय छोड़ने पर सुरक्षित धन की वापसी की जाती है। परन्तु इसके लिए छात्र को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
3. **स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र**—इस प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म भरकर उसे कार्यालय में देना चाहिए। 'स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र' के लिए रु0 2.00 शुल्क जमा करना होगा। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने के तीन बाद निर्गत होगा।
4. **चरित्र प्रमाण-पत्र**—यह प्रमाण-पत्र प्रत्येक छात्र/छात्रा को सत्र में एक बार दिया जायेगा। उसी सत्र में पुनः चरित्र प्रमाण-पत्र लेने पर रु 02.00 शुल्क देना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए मुख्य अनुशासक की संस्तुति अनिवार्य है।

पुस्तकालय संबंधी नियम

पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को दो पुस्तकालय 'पुस्तक ग्रहण-पत्र', प्रवेश के उपरांत 'प्रवेश' आवेदन-पत्र' प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय द्वारा 'पुस्तक ग्रहण-पत्र' की प्राप्ति प्राप्त कराते हुए निर्गत की जायेंगी। इन्हीं पत्रों के माध्यम से छात्र/छात्राएं पुस्तकालय की पुस्तकें प्राप्त करेंगे। पुस्तक ग्रहण-पत्र' जिस विद्यार्थी के नाम निर्गत है वही पुस्तकें प्राप्त करेगा। काउन्टर पर उपलब्ध दैनिक निर्गत पंजिका में आवश्यक प्रवृष्टि कर पुस्तकें ले जायी जायेंगी। पुस्तक ग्रहण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने की स्थिति में दूसरा 'रीडर्स कार्ड' निर्गत नहीं किया जायेगा और खोए हुए कार्ड पर किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा पुस्तक प्राप्त कर लेने की स्थिति में जिस छात्र के नाम यह कार्ड है उसी के ऊपर पुस्तक की देनदारी स्थापित होगी। पुस्तकें 30 दिन की अवधि के लिए एक बार में निर्गत की जायेंगी। विलम्ब की स्थिति में रु.1.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदंड देना होगा।

पुस्तकालय से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय इन रीडर्स कार्डों को पुस्तकालय में जमा करना अनिवार्य है। पुस्तकालय में पुस्तकें पूर्वाह्न 11.00 बजे से 2.00 बजे तक निर्गत/जमा की जायेंगी। अन्य छात्रों द्वारा माँग न होने पर वही पुस्तक पुनः निर्गत की जा सकती है। समस्त पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व छात्र द्वारा लौटाया जाना आवश्यक है। यदि कोई छात्र परीक्षाओं की समय अवधि के लिए पुस्तक रखना चाहता है तो उसके लिए "ओवर इक्जाम इशू" व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 दिन पूर्व सूचना प्रसारित होने के पश्चात्, छात्र/छात्राओं से निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त पुस्तक के मूल्य की दोगुनी राशि जमा कराकर पुस्तकों की प्राप्ति कर पुस्तकें परीक्षा अवधि तक के लिए निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। परीक्षा समाप्त होते ही पुस्तकें पुस्तकालय में वापस किया जाना है अन्यथा परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के उपरान्त 0.50 पैसा प्रतिदिन की दर से जमा राशि में से कटौती

की जायेगी। पुस्तक मूल्य की 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के उपरान्त शेषराशि छात्रों को उपलब्ध करा दी जायेगी। किन्तु यह राशि ग्रीष्मावकाश के उपरान्त महाविद्यालय के खुलने पर वापस की जायेगी।

छात्र पुस्तक लेते समय भली-भाँति देख लें, यदि पुस्तक फटी हुई है या उसके बीच के कुछ पृष्ठ गायब हैं तो उसी दिन अथवा अगले दिन पुस्तक वापस कर देना चाहिए या पुस्तकालयाध्यक्ष से इस आशय की टिप्पणी अंकित करा लेनी चाहिए कि पुस्तक फटी हालत में है।

पुस्तकों का सुरक्षित उपयोग छात्रों का नैतिक कर्तव्य है। पुस्तकें कटी-फटी, गंदी, निशान लगी पायी जाने पर पुस्तक का वर्तमान मूल्य छात्रों से लिया जायेगा।

वाचनालय व्यवस्था

महाविद्यालय के भवन में एक पृथक वाचनालय की व्यवस्था है जिसमें छात्र/छात्राएँ विभिन्न पत्र/पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों में अध्ययन की अभिरुचि को जागृत करने एवं उनके ज्ञान के संवर्द्धन हेतु प्रतियोगिताओं एवं पुस्तक प्रदर्शनी आदि का आयोजन किये जाने का प्राविधान है। वाचनालय सुविधा प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे से उपलब्ध रहेगी। घर ले जाकर पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए "ओवर-नाइट इशू" पद्धति वर्तमान में लागू की गयी है। परिचय-पत्र जमा कर पत्रिका इशू कार्ड भरकर छात्र पत्रिकाएँ ले जा सकते हैं। किन्तु, दूसरे दिन महाविद्यालय, पुस्तकालय खुलते ही उन्हें पत्रिका जमा करनी होगी अन्यथा 0.50 पैसे प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड देना होगा। पत्रिका जमा करने के उपरान्त ही परिचय-पत्र वापस किया जायेगा।

अन्य आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय की प्रवेश रसीद /शुल्क रसीद, संबंधित विषय की कक्षा में प्राध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही संबंधित विषय की व्याख्यान पंजिका में नाम लिखा जायेगा।
2. प्रवेश रसीद/शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा छात्र का परिचय -पत्र प्राप्त हो सकेगा। परिचय-पत्र पर छात्र/छात्रा की नवीनतम फोटो संकाय के मुख्यशास्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। परिचय-पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। महाविद्यालय में किसी भी समय शास्तामण्डल द्वारा परिचय-पत्र की जाँच की जा सकती है। परिचय - पत्र नहीं पाये जाने की स्थिति में उसे महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा अतएव उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
3. विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक विषय में अलग-अलग कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
4. साइकिलों को स्टैंड पर ही रखें। परिसर अथवा बरामदों में खड़ी साइकिलें पकड़े जाने पर वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त रु. 1.00 अर्थदण्ड भी लिया जायेगा। अतः यह छात्रों के हित में होगा कि वे साइकिल स्टैंड में ही खड़ी करें तथा साइकिल का नम्बर अपने पास नोट कर लें और साइकिल खो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

॥ महाविद्यालय परिवार ॥

प्राचार्य : डॉ.प्रदीप नारायण डोंगरे

संस्कृत विभाग		
1	डॉ० ऋचा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2	डॉ० रश्मि यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० विष्णुकान्त त्रिपाठी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग		
1	डॉ० किरण शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० सविता कुमारी श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर
3	डॉ० नीलम कुमारी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० आलोक रंजन सिंह यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	श्री अमित गोयल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6	श्रीमती प्रीति कुमारी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
अंग्रेजी विभाग		
1	डॉ० आलिया रिफत	एसोसिएट प्रोफेसर
2	श्री अजय सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	कू० प्रियंका मराल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० माला श्रीवास्तव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	डॉ० विनय कुमार मिश्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
भूगोल विभाग		
1	डॉ० सुरेन्द्र कुमार सिंह यादव	एसोसिएट प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास विभाग		
1	डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह नौलखा	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० प्रत्यन्धा पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
मध्ययुग इतिहास विभाग		
1	डॉ० कामिनी वर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० मनोज सिंह यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० चन्द्रभान यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
दर्शनशास्त्र विभाग		
1	डॉ० किशोरी लाल पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० अवधेश कुमार आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० दीप नारायण मिश्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	श्री महेन्द्र कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
मनोविज्ञान विभाग		
1	डॉ० मंजू देवी	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० सीमी आजम	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग		
1	डॉ० मनोज कुमार अवस्थी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2	डॉ० महेन्द्र त्रिपाठी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० इंग्लेश कुमार भारती	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० महेन्द्र यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग		
1	डॉ० घनश्याम मिश्र	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० नवीन कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
राजनीतिशास्त्र विभाग		
1	श्री आनन्द कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
चित्रकला विभाग		
1	डॉ० रोशन प्रसाद	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० रविन्द्र कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
गृह विज्ञान विभाग		
1	कुमारी मनीषा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर

वाणिज्य विभाग		
1	डॉ० रमेश चन्द यादव	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० धीरज कुमार गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० देव कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	श्री अतिशयेन्द्र कौशल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
बी०एड० विभाग		
1	डॉ० जय प्रकाश शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2	डॉ० लोकपति त्रिपाठी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० सुधीर कुमार रंजन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० जय सिंह यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	डॉ० मोनिका सरोज	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6	डॉ० संजय कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7	डॉ० प्रतीक उपाध्याय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
8	डॉ० मन्जुल गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
गणित विभाग		
1	डॉ० अजय कुमार सोनकर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2	डॉ० सर्वेशानन्द	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० सुशील कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
रसायन विज्ञान विभाग		
1	डॉ० प्रभात कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर
2	श्री हेमन्त कुमार निराला	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	डॉ० विनोद कुमार यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	श्री अयूब अहमद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	डॉ० मधु तिवारी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6	श्री अभिमन्यु यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7	डॉ० अभिनव द्विवेदी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
जन्तु विज्ञान विभाग		
1	डॉ० शुभा श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० अंजू वर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	श्री प्रकाश चन्द गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० कल्पना वर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	श्री रत्नेश कुमार सोनी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6	डॉ० अवधेश सिंह यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
वनस्पति विज्ञान विभाग		
1	डॉ० कमाल अहमद सिद्दीकी	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० रश्मि सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	श्री रणजीत सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० सौम्या मिश्रा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	डॉ० सुमन गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
भौतिक विज्ञान विभाग		
1	डॉ० अरुण कुमार कुशावाहा	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० कल्पना अवस्थी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3	श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4	डॉ० प्रियंका श्रीवास्तव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5	श्री अविनाश चन्द्र यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6	डॉ० श्री प्रकाश मिश्रा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
शारीरिक शिक्षा		
1	श्री राजेन्द्र कुमार राजन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर

तृतीय श्रेणी कर्मचारी		
1	श्री राजकुमार मालवीय	कार्यालय अधीक्षक
2	श्री विश्वरंजन मालवीय	आशुलिपिक
3	डॉ० रमाकान्त यादव	सहायक लेखाकार
4	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	कैटलागर
5	डॉ० बृजेश शर्मा	वरिष्ठ सहायक
6	डॉ० आलोक मिश्र	वरिष्ठ सहायक
7	श्री अजीत चन्द	वरिष्ठ सहायक
8	श्री जय प्रकाश	वरिष्ठ सहायक
9	श्री रामबदन राम	कनिष्ठ सहायक
10	श्री प्रवीण कुमार	कनिष्ठ सहायक
11	श्री अंजनी कुमार	प्रयोगशाला सहायक
12	श्री सुभाष चन्द्र पाठक	प्रयोगशाला सहायक
13	श्री सत्य प्रकाश मिश्र	प्रयोगशाला सहायक
14	श्री अभिषेक श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक
15	कु० संध्या तिवारी	कनिष्ठ सहायक
16	श्रीमती अर्चना शर्मा	कनिष्ठ सहायक
17	श्रीमती नम्रता सिंह	कनिष्ठ सहायक
18	कु० नंदिनी	कनिष्ठ सहायक

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
1	श्री राजा राम	कारपेन्टर
2	श्री रामधनी यादव	प्रयोगशाला परिचर
3	श्री राम लखन	दपतरी
4	श्री अमरनाथ यादव	प्रयोगशाला परिचर
5	श्री श्याम बिहारी	अर्दली
6	श्रीमती मंजू सिंह	प्रयोगशाला परिचर
7	श्री बेचूराम यादव	परिचर
8	श्री धनी शंकर यादव	प्रयोगशाला परिचर
9	श्री लालचन्द पाल	प्रयोगशालापरिचर
10	श्री हृदय शंकर पाल	परिचर
11	श्री ओम प्रकाश यादव	प्रयोगशाला परिचर
12	श्री पारसनाथ यादव	प्रयोगशालापरिचर
13	श्री अजय मालवीय	परिचर
14	श्री राजेश यादव	प्रयोगशाला परिचर
15	श्री शीतला पाल	चौकीदार
16	श्री राजेन्द्र पाल	चौकीदार
17	श्री शाहिद	स्वीपर
18	अली हुसैन	स्वीपर
19	श्री इस्तियाज अली	स्वीपर

